भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1230
जिसका उत्तर दिनांक गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2013 को दिया जाना है

सुरक्षित वाहनों का विनिर्माण

1230. श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश भारतीय छोटी कारें सुरक्षा मानक पर खरी नहीं उतरती हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ताकि कार विनिर्माता सुरक्षित वाहन बनाएं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क, ख और ग) : भारत में बनाई और बेची जाने वाली छोटी कारों सहित सभी वाहन केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 126 के प्रावधानों के अनुसार सख्त सुरक्षा विनियमों का पालन करते हैं। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में परीक्षण एजेन्सी द्वारा प्रमाण-पत्र देने के लिए मोटर वाहनों के विनिर्माताओं को विनिर्मित किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 126 के तहत परीक्षण एजेन्सी के पास जांच के लिए भेजना होता है। यही प्रक्रिया आयातित वाहनों के लिए भी लागू है।